प्राप्त किया
28-11-23

अनुस्मारक–3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांकः– /33-1 ,दिनांक, महोबा, नवम्बर 20 2023

सेवा में,

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड (सिविल),
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) महोबा।

विषय– उ0प्र0 जल जीवन निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सालईया–नाथूपुरा, लहचुरा–काशीपुरा, पवर्रा–सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला–महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– 1. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/08/169/2022/एफ0सी0/23, दिनांक 10.04.2023
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–3262/11–सी–FP/UP/Water/150368/2021, दिनांक 12.04.2023.
3. इस कार्यालय का पत्रांक–4125/33–1, दिनांक 27.04.2023, 4351/33–1, दि0 19.05.2023, 954/33–1, दि0 27.09.2023 एवं 1096/33–1, दि0 09.10.2023

उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि विषयांकित भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त सभी शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार मय संलग्नक के इस कार्यालय को प्रेषित करें।

बिन्दु संख्या–03 व 05 का आगणन निम्न प्रकार है:–

बिन्दु संख्या–03 :– शर्त संख्या–03 के अनुपालन में चरखारी रेंज के अन्तर्गत ग्राम–सालट के खसरा संख्या–845डी में 4.126 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि 2530300.00 (पच्चीस लाख तीस हजार तीन सौ मात्र) एवं जैतपुर रेंज के अन्तर्गत जैतपुर वन ब्लाक के 12 हे0 पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण सहित आगणित धनराशि 5432000.00 (चौवन लाख बत्तीस हजार मात्र) कुल 7962300.00 (उन्यासी लाख बासठ हजार तीन सौ मात्र) होती है।

बिन्दु संख्या–05 :– शर्त संख्या–05 के अन्तर्गत प्रभावित संरक्षित वन भूमि 14.4534 हे0 की एन0पी0वी0 आदेशित दिनांक 06.01.2022 और 19.01.2022 के अनुसार आगणित धनराशि 957780X14.4534 हे0 =13843178.00 (एक करोड़ अड़तीस लाख तैतालीस हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) होती है।

अतः 16.126 हे0 की क्षतिपूरक वृक्षारोपण की आगणित धनराशि 7962300.00 (उन्यासी लाख बासठ हजार तीन सौ मात्र) एवं प्रभावित संरक्षित वन भूमि 14.4534 हे0 की एन0पी0वी0 धनराशि 13843178.00 (एक करोड़ अड़तीस लाख तैतालीस हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) अर्थात कुल 21805478.00 (दो करोड़ अठ्ठारह लाख पाँच हजार चार सौ अठहत्तर मात्र) ऑनलाईन ई–पैमेन्ट पोर्टल के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराकर जमा पर्ची की मूल पावती सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या 1437 /अ/सम दिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि– वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ0प्र0, बाँदा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि– अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे, महोबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

-1-

V II\2023

25/11/23
AE M(NG)

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roez.lko-mef@nic.in

दिनाँक: 10.04.2023

पत्र सं० 8बी/यूपी0/06/169/2022/एफ.सी./23

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Water/150368/2021

विषय: उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया–नाथूपुरा, लहचुरा–काशीपुरा, घवर्रा–सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु जिला महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक 3869/11–सी–FP/UP/Water/150368/2021, दिनांक 29.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक पी–186/81–2–2022–800(203)/2022, लखनऊ, दिनांक–07.07.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण को दिनांक 28.03.2023 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में (REC Agenda item 3.2-UP) शामिल किया गया था। बैठक में प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है। क्षेत्रीय सशक्त समिति की स्वीकृति उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया–नाथूपुरा, लहचुरा–काशीपुरा, घवर्रा–सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेयजल पाईप लाईन बिछाने हेतु जिला महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Forest land will be handed over only after required non-forest land for the project is handed over by the user agency.
3. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department in an area of 16.126 ha. degraded forest land, 4.126 ha. NFL in Gram Salat, khasara no. 845 D in charkhari Range at District-Mahoba and 12 ha. in Jaitpur forest block in Jaitpur range district- Mahoba at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.
4. The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest Department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927, or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage- II approval.
5. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 14.4534 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

6. Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

7. User agency shall restrict the felling of trees to 375 trees/minimum numbers in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

8. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.

9. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

10. The pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after lying down of pipe line the ground will be levelled.

11. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.

12. **The State Govt. officials shall rectify and Geo-reference their forest boundaries in DSS portal.**

13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.

14. No labour camp shall be established on the forest land.

15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.

16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

21. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.

22. Any order of Temporary Work Permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal office and this office. Order of Temporary Work Permission have to be uploaded on PARIVESH Portal as well. Nodal Officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

23. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt. 29/01/2018.

24. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.

25. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.

26. The compliance report shall be uploaded on *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.

After receipt of compliance report on fulfillment of all of the above conditions from the State Government, proposal will be considered for final approval under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to user agency shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, महोबा।
5. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेवसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

11.04.20

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग,
किसान बाजार, प्रथम तल, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226001

Phone : 91-522-2239426
website- www.swsm.up.gov.in
Email Id- ed.swsmup@rediffmail.com

पत्रांक: 92 /E-46 /2021-22

दिनांक : 11 अप्रैल, 2022

कार्यालय ज्ञाप

जल जीवन मिशन के अर्न्तगत विभिन्न विभागों यथा वन, रेलवे, हाइवे इत्यादि से सम्बन्धित NOC की प्रक्रिया में किये जाने वाले भुगतानों को जनपद स्तर पर निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। भुगतान उपरान्त निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा किये गये भुगतान की नियमानुसार प्रतिपूर्ति बिल के माध्यम से की जायेगी।

(प्रिय रंजन कुमार)
निदेशक वित्त

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन।
2. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, सम्बन्धित जनपद।
3. यू0सी0 (तकनीकी), राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
4. समस्त निर्माणकर्ता एजेन्सियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक वित्त

D:\Ani 8.3.22\Office Order.docx